

महिलाओं के लिये वधिकि सहायता क्लीनिकि

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दलिली राज्य कानूनी सेवा प्राधकिरण (DSLISA) के सहयोग से एक **वधिकि सहायता क्लीनिकि** शुरू कयि है ।

वधिकि सहायता क्लीनिकि:

- यह महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देकर उनकी शकियतों के समाधान के लिये सगिल वडि सुवधि है ।
- NCW अन्य राज्य महिला आयोगों में भी इसी तरह के वधिकि सहायता क्लीनिकि स्थापति करने की योजना बना रहा है ।
- नए वधिकि सहायता क्लीनिकि के तहत शकियतकर्त्ताओं को परामर्श प्रदान कयि जाएगा, संकट में महिलाओं को **राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण (NALSA)/DSLISA** की वभिन्न योजनाओं पर कानूनी सहायता, सलाह और जानकारी दी जाएगी एवं महिला जनसुनवाई संबंधी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, वैवाहिकि मामलों में सुनवाई और आयोग के साथ पंजीकृत अन्य शकियतों में अन्य सेवाओं में सहायता प्रदान की जाएगी ।

राष्ट्रीय महिला आयोग:

- **परचिय:**
 - इसे **राष्ट्रीय महिला आयोग अधनियिम, 1990** के तहत **जनवरी 1992** में एक वैधानिकि निकाय के रूप में स्थापति कयि गया ।
 - इसका उद्देश्य उपयुक्त नीति निर्माण, वधियी उपायों आदि के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता व समान भागीदारी हेतु उचित कार्य करना है
- **कार्य:**
 - महिलाओं के **संवैधानिकि और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा** करना ।
 - उपचारात्मक वधियी उपायों की सफिरशि करना ।
 - शकियतों के नविवरण को सुगम बनाना ।
 - महिलाओं को प्रभावति करने वाले सभी नीतगित मामलों पर सरकार को सलाह देना ।

स्रोत: पी.आई.बी.